न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

करण संख्या : 11/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 12.02.2024 निर्णय दिनांक : 26.06.2024

1. बलबीर पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज – प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश देवी पत्नी वीरेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
2. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
3. उप पंजीयक, नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
4. तहसीलदार नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष उनवानी वाद बलबीर बनाम मुकेश देवी व अन्य एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री योगेश्वर प्रकाश – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री होशियार सिंह आर्य – अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या उनवानी प्रकरण बलबीर बनाम मुकेश देवी व अन्य राजस्व वाद संख्या 92/2021 अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम तथा स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद में वर्णित विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं, जिसका कोई विधिक विभाजन लिखित या मौखिक रूप से उक्त सहखातेदारान के मध्य नही हुआ हैं। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही हैं, और सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करनें को उतारू हैं। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 की सुविधानुसार उसके व उसके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती हैं, तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही की जाती हैं। ना ही पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सख्या 4 द्वारा मिन प्रार्थी की ओर से पेशकर्दा प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा मिन प्रार्थी व उसके वकील साहब पर बहस करने का दबाव दिया जाता हैं। उक्त प्रकरण में विगत पेशी पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थी व उसके वकील साहब से

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

ऐलानिया तौर पर कहा हैं, कि" प्रकरण में जल्द से जल्द बहस करों, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर वाद खारिज कर दूँगा। तुम्हारा प्रकरण में कोई लेना देना नहीं हैं।" अप्रार्थी संख्या 1 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 से सांठ गांठ कर ली हैं अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन को मिन प्रार्थी ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 के चैम्बर में आते जाते देखा हैं. अप्रार्थी सख्या 1 ने विगत पेशी पर मिन प्रार्थी से अदालत परिसर में ऐलानिया तौर पर ऐसा कहा हैं कि उसकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 4 से बातचीत हो गयी हैं, मुकदमा का फैसला उसके पक्ष में होंगा, तथा दावा खारिज कराकर रहेगें। अन्त में प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा पुर्व में भी दो बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर के यहां पेश किया जा चुका है। प्रार्थी के द्वारा बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलं शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आर.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़